भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 386

04 फरवरी, 2020

"दरभंगा की चीनी मिलों का पुनरुद्धार"

386. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के दरभंगा, जहां प्रचुर मात्रा में गन्ना उगाया जाता है लेकिन चीनी मिलों की कमी है, में चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) (ख) और (ग): केंद्र सरकार ने देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया है। केंद्र/राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन उद्यमी अपने पसंदीदा स्थान पर चीनी मिल की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं।

संभाव्य रूप से कार्यक्षम रुग्ण चीनी उपक्रमों के पुनरुद्धार के संबंध में जहां तक कि निजी क्षेत्र का संबंध है, यह जिम्मेदारी संबंधित उद्यमी की होती है कि वह बंद/रुग्ण चीनी मिलों को फिर से खोलने/पुनरुद्धार के लिए कदम उठाएं। सार्वजनिक और सहकारी चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य /संघ राज्य-क्षेत्र सरकार की होती है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की रैयाम (दरभंगा) की यूनिट को दीर्घकालिक पट्टे पर श्री तिरहुत इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है ताकि क्षेत्र में इस चीनी मिल का पुनरुद्धार किया जा सके।

****